राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
31वीं बैठक - दिनांक : 19 जनवरी, 2010 के कार्य बिंदु

कार्य बिंदु संख्या - 1

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वार्षिक ऋण योजना 2009-2010 के सापेक्ष सितम्बर, 2009 तक बैंकों द्वारा मात्र 35 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त करने पर असंतोष व्यक्त किया व कृषि क्षेत्र में अब तक 32 प्रतिशत की उपलब्धि को आगे अधिकाधिक बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला बागेश्वर (23 %), अल्मोड़ा (26 %), देहरादून (31 %), पिथौरागढ़ (33 %) की वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि भारतीय रिजर्व बैंक के मानक से बहुत कम है। सभी बैंकों, अग्रणी जिला प्रबंधकों व संबंधित राज्य सरकार के विभागों को निर्देशित किया कि इसको बढ़ाने हेतु तुरंत प्रभावी कदम उठाएं ताकि आगामी त्रैमास के अंत तक शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हो सके।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक / संबंधित राज्य सरकार के विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 2

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश की सभी 670 न्याय पंचायत मुख्यालय के ग्रामों में **'' अटल आदर्श ग्राम योजना ''** राज्य के स्थापना दिवस 09 नवम्बर, 2009 के शुभ अवसर पर आरम्भ कर दी गई है। इस योजना को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वह इन ग्रामों को अंगीकृत करते हुए समस्त बैंकिंग सेवाएं / सुविधाएं बैंक शाखा अथवा बिजनेस कोरेसपोंडेंट / बिजनेस फेसिलिटेटर के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएं। सभी अग्रणी जिला प्रबंधक, इन आदर्श ग्रामों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करवाने की संभावनाएं का अन्वेषण कर, संबंधित बैंक के नियंत्रकों को उचित कार्रवाई करने हेतु आग्रह करें तथा इसकी सूचना आगामी राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक से पूर्व एस. एल.बी.सी संयोजक को भेजें।

(कार्रवाई - अग्रणी जिला प्रबंधक / बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 3

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य के पहाड़ी जिलों की ऋण-जमा अनुपात अपेक्षाकृत कम होने का सभी बैंकों का ध्यान आकर्षिक किया एवं इसमें वृद्धि लाने हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। सितम्बर, 2009 में पौड़ी (22 %), चमोली (28%), अल्मोड़ा (22 %) , बागेश्वर (27 %) एवं चम्पावत (26 %) का ऋण-जमा अनुपात दर्ज किया है, जो कि काफी कम है। अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक नियंत्रक एवं नाबार्ड, जिले के रेखीय विभागों से विचार-विमर्श कर अपने-अपने जिले से संबंधित विशेष कार्ययोजना (Special Action Plan) बनाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में सघन रुप से लागू करें।

(कार्रवाई - बैंक नियंत्रक / अग्रणी जिला प्रबंधक / नाबार्ड)

कार्य बिंदु संख्या - 4

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखड के संयोजक ने ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि लाने हेतु संबंधित जिले की ऋण ग्रहण क्षमता को बढ़ाने पर विचार करने को कहा व सरकार से अनुरोध किया कि समस्त ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों की ऋण ग्रहण क्षमता (Credit Absorption Capacity) का अध्ययन करवाएं ताकि उसके अनुरुप बैक इन क्षेत्रों में अपने ऋण प्रवाह बढ़ा सकें।

(कार्रवाई - एफ.आर.डी.सी. विभाग)

कार्य बिंदु संख्या - 5

माननीय मुख्यमंत्र महोदय ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त किया और संबंधित विभाग से इसमें तीव्रता लाने हेतु निर्देशित किया। एस.एल.बी.सी. संयोजक ने सदन को अवगत कराया कि योजना में धीमी प्रगति का प्रमुख कारण अनुदान राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में समय से न मिलना है जिस पर प्रमुख सचिव (वित्त) ने पर्यटन विभाग को निर्देशित किया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिए गए बैंक ऋण खातों में अनुदान राशि का समायोजन ऋण वितरण के एक माह के अंदर अनिवार्य रुप से कर दिया जाए व नए आवेदकों के प्रार्थना पत्र बैंकों को शीघ्र उपलब्ध कराएं।

(कार्रवाई - पर्यटन विभाग / बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 6

प्रमुख सचिव (एफ.आर.डी.सी.) ने ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने के लिए में ग्रामवासियों को मल्टीपल क्रोपिंग पैटर्न (multiple cropping pattern) अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए कृषि विभाग कार्ययोजना बनाएं और गाँव-गाँव में उसका प्रचार-प्रसार करें। राज्य के पर्वतीय जिलों में बेमौसमी सब्जियों एवं जैविक खेती के व्यवसायिक स्तर पर पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नाबार्ड कृषि विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करें।

(कार्रवाई - कृषि विभाग / नाबार्ड)

कार्य बिंदु संख्या - 7

जड़ी-बूटी विकास एवं पतान्जलि योगपीठ द्वारा **'' कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग ''** हेतु चिन्हित क्लस्टर क्षेत्र में नर्सरी एवं खेती के लिए राज्य के उद्यान विभाग, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य एवं तकनीकी रुप से बैंकपरक योजना (Bankable Scheme) बनाएं, जिसको सभी बैंक, कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए लागू करें। उद्यान विभाग, बैंक एवं नाबार्ड के साथ अध्ययन कर, चुनिन्दा जड़ी-बूटियों का स्केल ऑफ फाइनेंस भी निर्धारित करें।

(कार्रवाई - उद्यान विभाग / नाबार्ड / बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 8

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने अवगत कराया कि राज्य में 32,000 स्वयं सहायता समूह गठित हैं जिनमें से 22,000 स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज प्रदान किया गया है। सभी बैंक शेष 10,000 समूहों को बैंक लिंकेज करवाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करें। इसकी सूची नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी से भी प्राप्त की जा सकती है। इस संदर्भ में अग्रणी जिला प्रबंधक पहल कर तुरंत कार्रवाई करें व आगामी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थाई समिति, उत्तराखंड से पूर्व प्रगति की सूचना एस.एल.बी.सी. संयोजक को प्रेषित करें।

(कार्रवाई - अग्रणी जिला प्रबंधक / बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 9

राज्य के 3,60,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों तथा विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को बैंक द्वारा मासिक पेंशन भुगतान अनिवार्य रुप से करने के लिए सभी लाभार्थियों के बैंक खाता होना अनिवार्य है, जब कि अब तक कुल लगभग 70,000 खाते ही खोले गए हैं। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया कि शेष पेंशनरों की सूची उनके नजदीकी बैंक को उपलब्ध करा दी जाए और बैंक सभी पेंशनधारकों के खाते शीघ्र खोलें और समस्त बैंक प्रगति की सूचना आगामी समाज कल्याण विकास बैंकर्स स्थाई समिति, उत्तराखंड से पूर्व एस.एल.बी.सी. संयोजक को प्रेषित करें।

(कार्रवाई - समाज कल्याण विभाग / बैंक नियंत्रक)

कार्य बिंदु संख्या - 10

प्रमुख सचिव (उद्योग) ने सदन को अवगत कराया कि **''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम''** के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रु. 25 लाख कर दी गई है जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान राशि अनुमन्य है। योजना की धीमी गति के दृष्टिगत उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभागों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन पत्र सभी बैंकों को शीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि बैंक इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक ऋण प्रदान कर सकें।

(कार्रवाई - उद्योग विभाग / बैंक)

कार्य बिंदु संख्या - 11

राज्य में कृषि क्षेत्र में रु. 3 लाख तक के ऋणों पर स्टॉम्प डयूटी की छूट है। इससे संबंधित अधिसूचना, राज्य सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। इस संबंध में ध्यान आकर्षित करते हुए सभी बैंकों ने राज्य सरकार से आग्रह किया गया की अधिसूचना का नवीकरण आगामी तीन वर्षों तक के लिए कर दिया जाए ताकि इस संदर्भ में किसानों को कोई असुविधा न हो।

(कार्रवाई - वित्त / राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन)

कार्य बिंदु संख्या - 12

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक ने सरकार एवं सभी बैंकों से अनुरोध किया कि उत्तराखंड राज्य में ई-लर्निंग पहल (e - learning Initiative) का आधार बनाएं एवं राज्य के बाहर से स्थानांतरित होने वाले बी.पी.ओ. (BPO) को प्रोत्साहित करें ताकि प्रदेश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो सके।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 13

भारतीय रिजर्व बैंक के मानक कुल ऋण राशि का 1 प्रतिशत विभेदक ब्याज दर (Differentail rate of interest) के ऋण होने चाहिएं परंतु सितम्बर, 2009 तक समस्त बैक मिलकर 0.14 प्रतिशत का डी.आर.आई. ऋण प्रदान किया है, जोकि बहुत कम है। सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक इस संभाग में और अधिक ऋण प्रदान करने की कार्रवाई करें।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

कार्य बिंदु संख्या - 14

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के आँकड़ों के मिलान हेतु सभी बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों से पुनः अनुरोध किया गया कि माह दिसम्बर, 2009 के आँकड़ों का विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि आगमी राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक समय पर आहूत की जा सके।

(कार्रवाई - समस्त बैंक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

****